रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2008/फाल्गुन 15, 1929

No. 298] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2008/PHALGUNA 15, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2008

का. आ. 435(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल की अध्यक्षता में ''विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण'' का गठन इस बात का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए करती है कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं ।

[फा. सं. 14017/2/2008-एन.आई.-III]

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2008

S. O. 435(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Ms. Justice Gita Mittal, Judge of the High Court of Delhi, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Students Islamic Movement of India (SIMI) as unlawful association.

[F. No. 14017/2/2008-NI-III]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.